Dr M.K. Jha.
Dept of Sociology
V.S.J College,
Rajnagar.

Question - बहिर्विवाह (Exogamy) किसे कहते हैं? इसके प्रकार पर प्रकाश डालिए।

Ans - बहिर्विवाह (Rule of Exogamy) एक ऐसा नियम है जिसका पालन करना हिन्दू के लिए अनिवार्य समझा जाता रहा है। बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करना चाहिए। हिन्दुओं में बहिर्विवाह के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर पिण्ड एवं जाति के कुछ समूहों से बाहर विवाह करना चाहिए। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले लोगों को भी परस्पर विवाह करने की अनुमति नहीं दिया गया है।

वास्तव में बहिर्विवाह एक प्रकार का सामाजिक-सांस्कृतिक निषेध है जिसके अन्तर्गत हिन्दू अपने ही गोत्र, प्रवर अथवा पिण्ड की कन्या से विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण से बहिर्विवाह का नियम तीन शाखाओं में विभाजित है।

1. सगोत्र बहिर्विवाह - 'gotra exogamy' सगोत्र विवाह करना निषेध है। गोत्र का अर्थ व्यक्तियों के एक ऐसा समूह से है जो एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति होने और इस प्रकार अपने में समान रक्त होने में विश्वास करते हैं।

गोत्र का सामान्य उन व्यक्तियों के समूह से है जिसकी उत्पत्ति एक ही ऋषि से हुई हो। सत्याषाढ़ हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, शाण्डिल्य, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप एवं अगस्त्य नाम के ऋषि हैं जिससे व्यक्ति विशेष समूह एक ऋषि को सन्तान मानता है तथा उनको पूर्वज मानकर उनके नाम गोत्र का प्रचलन आरंभ हुआ है। इस प्रकार एक गोत्र के मानने वाले -

सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं इसलिए गोत्र बहिर्विवाह कहलाता है।

विज्ञानेश्वर का मत है कि ब्राह्मण के ही वास्तविक गोत्र होते हैं, क्षत्रियों, वैश्यों के गोत्र उनके पुरोहित के गोत्रों के आधार पर होते हैं। शूद्रों का कोई गोत्र नहीं होते हैं किन्तु वर्तमान में सभी ~~जन~~ जातियों में गोत्र पाए जाते हैं और वे गोत्र बहिर्विवाह नियमों का पालन करते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा वर्तमान में सगोत्र विवाह से प्रतिबन्ध हटा दिये हैं किन्तु व्यवहार में आज गोत्र बहिर्विवाह नियम का पालन किया जा रहा है।

2. ~~सपिण्ड~~ सप्रवर बहिर्विवाह - (Sapravar ~~exogamy~~ exogamy)

'प्रवर' शब्द का अर्थ आह्वान करना है। वैदिक काल में अग्नि- प्रज्वलित करते समय किसी प्रसिद्ध ऋषि अथवा पूर्वज के नाम लेकर उसका आह्वान करके यज्ञ आरंभ किया जाता था। यज्ञ के समय एक ही ऋषि अथवा पूर्वज के नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति धीरे-धीरे अपने आपको एक ही वंश का सदस्य मानने लगे और इस कारण उनमें आपस में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना अनैतिक कार्य समझा जाने लगा। इसी को सप्रवर बहिर्विवाह कहा जाता है।

V. P. Kane के अनुसार सगोत्र तथा सप्रवर विवाह पर तीसरी शताब्दी के बाद ही बहुत कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। वर्तमान युग में यज्ञों का प्रचलन न होने के कारण प्रवर की धारणा लगभग समाप्त हो गई है।

3. सपिण्ड बहिर्विवाह - (Sapinda exogamy)। कठोर प्रतिबन्ध
हिन्दु समाज सपिण्ड विवाह पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया है। पिण्ड का अर्थ दो प्रकार से लगाया जाता है।

1. दायभाग के अनुसार पिण्ड का अर्थ चावल के उन गोलों से है जो श्राद्ध के समय पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति या पूर्वज को पिण्डदान करने वाले व्यक्ति आपस में सपिण्ड होते हैं और इसलिए उनके बीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकते हैं।

2. मिताक्षरा के अनुसार पिण्ड का अर्थ समान रक्त कणों से है। इस प्रकार जिन लोगों में समान रक्त कण है व आपस में विवाह, सपिण्डी होने के कारण नहीं करते हैं। इस प्रकार सपिण्ड में विवाह करना निषेध माना गया है।

अर्थात जिन व्यक्तियों में समान पूर्वज का रक्त होने की सम्भावना की जाती है व सभी व्यक्ति सपिण्ड होते हैं और बहिर्विवाह के नियमानुसार उनके बीच विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकते हैं।

आजकल ग्राम बहिर्विवाह एवं टोटम बहिर्विवाह का प्रचलन भी समाज में पाया गया है।

बहिर्विवाह का आधिक एवं विशेष लाभ यह है कि परिवार सुख शान्ति एवं रक्त के नवीन संयोग वंश को शक्ति एवं क्रिया प्रदान करता है। वैसे बहिर्विवाह के कारण दहेज एवं, बेमेल विवाह का प्रचलन समाज में बढ़ा है। जो कई कुरीतियों को जन्म दिया है।